

राजस्थान
अदालत

• प्राथमिक डिक्री •

(आर्डर 20 रूल्स 06-07 जाप्ता दीवानी)

(civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास श्री देवीलाल यादव (R.A.S.)

1. सुरेश कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति गंवारिया निवासी वार्ड नं 15, अजमेर रोड, किशनगढ जिला
अजमेर राज ।

—वादी

बनाम


1. शिवराज पुत्र छगना पुत्र बख्ता
 2. अमरचन्द पुत्र छगना पुत्र बख्ता
 3. घीसा पुत्र छगना पुत्र बख्ता
 4. गोपी पुत्र छगना पुत्र बख्ता
 - 4/1 समजी पत्नी गोपीराम
 - 4/2 ओमप्रकाश पुत्र गोपीराम
 - 4/2/1 श्रीमति कान्ता पत्नी ओमप्रकाश
 - 4/2/2 मोनू पुत्र ओमप्रकाश
 - 4/2/3 खुशी पुत्री ओमप्रकाश
 - 4/2/4 पिंकी पुत्री ओमप्रकाश
 - 4/3 शिवजी पुत्र गोपीराम
 5. राधा देवी पत्नी बीरम पुत्र बख्ता(मृतक)
 6. रामचन्द्र पुत्र बीरम पुत्र बख्ता
 7. मोहनलाल पुत्र बीरम पुत्र बख्ता
- समस्त जाति रेगर निवासीगण ग्राम चौसला तहसील अराई जिला अजमेर हाल निवासी रामनेर
ढाणी तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अराई, अजमेर राजस्थान ।

—प्रतिवादीगण

•प्राथमिक डिक्री वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राज.का. अधि. 1955•
मुकदमा नम्बर 236/2019(309/2020) उनवान सुरेश बनाम शिवराज

निर्णय दिनांक 12.10.2023

आदेश

वादी द्वारा वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने तथा वाद पत्र के  में पेश
दस्तावेजात व बहस सुनने के बाद न्यायालय अराई में वाद पत्र में हुक्म दिया जाता है कि वाद में वर्णित कृषि भूमि चौसला पटवार हल्का चौसला तहसील अराई स्थित कृषि भूमि
संख्या 522 कुल किता 01 कुल रकबा 07 बीघा 10 बीस्वा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के
मध्य राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से के अनुसार BY METES AND BOUNDS के आधार पर बंटवारा



उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

राजस्थान अदालत अजमेर

ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार अराई को 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार अराई BY METES AND BOUNDS के आधार पर [राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20,21 की पालना करते हुये], वादी द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि का विभाजन कर नक्शे में अलग अलग खसरा, रंग, लगान व रास्ता प्रदर्शित करते हुये बंटवारा प्रस्ताव आगामी तारीख दिनांक 10/11/23 तक प्रस्तुत करें।

असप्त मेरे दस्तखत व अदालत मुहर के आज दिनांक 12.10.2023 को जारी की गई ।



देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
सहायक कमिश्नर
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)